न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 61/2019
सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 16/19

राजस्थान सरकार जरिये खान मौहम्मद खान प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर। ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री जीवतराम पुत्र श्री विशनदास निवासी –जतन स्मारक के पास, बान्दनवाडा, भिनाय,अजमेर।
2. श्री होशियार सिंह केशावत पुत्र श्री रतनसिंह केशावत, निवासी–बान्दनवाडा, भिनाय, अजमेर। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी — पेरोकार सरकार
2. श्री बी.एस.शेखावत — अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 06.09..2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण तथा रीफिलिंग की सूचना पर दिनांक 17.06.2019 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी, खान मौहम्मद खान, प्रवर्तन निरीक्षक भिनाय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की जतन स्मारक के पास बान्दनवाडा, भिनाय स्थित किराणा स्टोर की जांच किये जाने पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा विद्युत चलित रीफिलिंग मोटर से मारूति वैन रजिस्ट्रेशन संख्या RJ 01 UA 7441 में घरेलू सिलेण्डर द्वारा अवैध रिफलिंग की जा रही थी। इस पर श्री महेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री गंगासिंह रावत हाल सहायक व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति, बान्दनवाडा तथा श्री मुकेश कुमार वर्मा पत्रु श्री सज्जनमल वर्मा निवासी मु.पो. झडवासा, वाया– बान्दनवाडा हाल मैनेजर नन्दहरि भारत गैस बान्दनवाडा को दुरभाष पर सूचना देकर मौके पर बुलाकर उक्त दोनो गवाहो की उपस्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 श्री जीवतराम पुत्र श्री विसनदास के किराणा स्टोर की जांच करने पर मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित छोटा सिलेण्डर, दो विद्युत चलित रिफलिंग मोटर मय सुरक्षा, तीन बांसुरी तथा एक मारूति वैन RJ 01 UA 7441 पाये गये। अप्रार्थी द्वारा इन सिलेण्डरों की प्राप्ति, खरीद, भण्डारण बाबत कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं ना ही मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। अप्रार्थी जीवतराम द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण तथा रीफलिंग के कारण मौके से 8 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित छोटा सिलेण्डर, दो विद्युत चलित रिफलिंग मोटर मय सुरक्षा, तीन बांसुरी तथा एक मारूति वैन RJ 01 UA 7441 को राजहित में कब्जे राज लेकर श्री मुकेश कुमार वर्मा पुत्र श्री सज्जनमल वर्मा निवासी मु0पो0–झडवासा, वाया बान्दनवाडा हाल मैनेजर नन्दहरि भारत गैस बान्दनवाडा को सुपुर्दगी में दिये गये तथा मारूती वैन जो कि अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा स्वय की होना

न्यायालय जिला कलक्टर

T.R. Sharma
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

जाहिर किया को श्री भागचन्द सेंवदा, कानि0–495, पुलिस चौकी, भिनाय को सुपुर्दगी में दी गई। घरेलु गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण एवं रिफिलिंग में उपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख), 4(1) (क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 08 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित छोटा सिलेण्डर, दो विद्युत चलित रिफलिंग मोटर मय सुरक्षा, तीन बांसुरी तथा एक मारूति वैन RJ 01 UA 7441 को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, बावजूद सूचना उपस्थित नही आये तथा अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, तथा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा वास्ते वाहन मारूति वैन संख्या RJ 01 UA 7441 को सुपुर्दगी में दिए जाने का प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण एवं रीफलिंग की सूचना पर दिनांक 17.06.2019 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (द्वितीय) के नेतृत्व में प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक के द्वारा मौके पर पहुॅच कर जांच किये जाने पर मौके पर अप्रार्थीगण को विद्युत चलित रीफिलिंग मोटर के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से मारूती वैन संख्या RJ 01 UA 7441 में अवैध रिफिलिंग करते पाये गये। जांच में मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित छोटा सिलेण्डर, दो विद्युत चलित रिफलिंग मोटर मय सुरक्षा, तीन बांसुरी भण्डारित पाई गई। घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग एवं अवैध भण्डाराण में उपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख), 4(1) (क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 08 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित छोटा सिलेण्डर, दो विद्युत चलित रिफलिंग मोटर मय सुरक्षा, तीन बांसुरी तथा एक मारूति वैन RJ 01 UA 7441 को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 02 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 02 की मारूती वैन RJ 01 UA 7441 पुलिस थाना बादंनवाडा द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त की गई है। अप्रार्थी संख्या 02 ही मारूति वैन RJ 01 UA 7441 का पंजीकृत स्वामी है। जप्त वाहन अप्रार्थी के परिवार के रोजमर्रा के काम आने वाला एक मात्र साधन है जिसके जब्त किये जाने से अप्रार्थी को काफी आर्थिक हानि एवं असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः अप्रार्थी की मारूती वैन RJ 01 UA 7441 को सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थीगण घरेलू गैस सिलेण्डर से मारूति वैन RJ 01 UA 7441 में अवैध रिफलिंग करते पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 की धारा 3 (1) (ख), 4(1) (क), क्लॉज 6 तथा गैस सिलेण्डर रूल्स 2004 के क्लॉज 44 (ग) का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जप्त 08 घरेलू गैस सिलेण्डर, 01 अप्रमाणित छोटा सिलेण्डर, दो विद्युत चलित

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

रिफलिंग मोटर मय सुरक्षा, तीन बांसुरी को राजसात किया जाता है। चूंकि जप्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत वाहन मारूती वैन पर रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार मात्र) की जुर्माना राशि कायम की जाती है। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर वाहन मारूती वैन RJ 01 UA 7441 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। प्रार्थना पत्र/सुपुर्दगीनामा दर्ज फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner